राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 760/2009
सुबोध कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
3. जिला शिक्षाधिकारी, माध्यमिक, बीकानेर।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.01.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बाबूलाल मीणा एवं श्री कुसुम लता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वेतन श्रृंखला रुपये 6500–10500 में दिनांक 01.07.1998 से कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 10.05.2007 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी से वसुली किये जाने के आदेश पारित किये गये, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई थी।
2. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आलोच्य आदेश दिनांक 10.05.2007 में अपीलार्थी से वसुली किये जाने के संबंध में जो टिप्पणी अंकित की गई है, उसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 03.05.1990 को ग्रेड–द्वितीय में पदौन्नति होने पर भी दिनांक 01.07.1998 से 6500–10500 वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति की वसुली प्रस्तावित करे तथा 10 वर्ष की सेवा होने पर उस तिथि से वरिष्ठ वेतनमान प्रस्तावित होगा।
3. हमारे समक्ष यह प्रकट हुआ है कि राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 04.06.2010 जारी किया गया है, जिसमें विभाग द्वारा निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया है:–

> ''अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस निर्णय के समरूप सभी प्रकरणों में उन अध्यापकों को जिनका कोई न्यायिक प्रकरण नहीं है एवं जो दिनांक 01.07.1998 से पूर्व चयनित वेतनमान के रूप में वेतनमान (6500–10500) में वेतन प्राप्त कर रहे थे, को उक्त चयनित वेतनमान का परिलाभ राजस्थान सिविल

सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 के नियम 6 के नीचे अंकित टिप्पणी के अनुसार व्यक्तिगत वेतनमान (Personal Pay Scale) के रूप में प्राप्त होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या–101000397/एफ.डी. रूल्स/2010 दिनांक 02.06.2010 के अनुसरण में जारी गई है।''

4. प्रत्यर्थी विभाग के उपरोक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांक 10.05.2007 (अनुलग्नक–1) वसुली की हद तक अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त परिपत्र दिनांक 04.06.2010 में दिया गया प्रावधान अपीलार्थी के संबंध में लागू कर अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही न करें। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)